

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है। और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई0एस0ए0 द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।

1 तैयारी की तारीख 03/03/23
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख 10/03/23
 डी डब्ल्यू एस एम को प्रस्तुत किये जाने की तारीख _____

2 ग्राम का नाम परसई
 ग्राम पंचायत का नाम परसई
 ब्लाक का नाम कालाकांकर
 जिला का नाम प्रतापगढ़
 राज्य का नाम उ० प्र०
 ग्राम जनगणना कोड _____
 (यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

i. ग्राम पंचायत संकल्प

3 ग्राम समुदाय की आकांक्षा पानी (संख्या) मवेशी कुडों को और 2 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जलापूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात 6 घन्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले 53 एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष _____ तक _____ ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना।

हर ग्राम समुदाय के लोग अपने अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबन्धन प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते है। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सदुषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचायेंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का _____ प्रतिशत प्रचालर और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबन्धन में योगदान किया जायेगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

ii. ग्राम पंचायत और/या इसकी उपसमिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण।

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी ?

(ग्राम पंचायत और/सर इसकी उप-समिति)
 समिति को क्या कहा जाता है.
 अध्यक्ष का नाम:-
 लिंग:-
 आयु:-

ग्राम पंचायत स्वाच्छता समिति
VWSC
बिबल कुंभार
M
42

सदस्य का नाम	लिंग	आयु
रविशंकर सोनकर	M	33
शाहल कुमर	M	25
दीना नाथ	M	58
इमाकान्त	M	42
रंजीत कुमार	M	29
साहला सोनकर	F	34
कशुभा केशी	F	38
सुनीता //	F	29
नीतू //	F	34
डा. प्रमोद निशा	F	58
दुर्लभदेवी //	F	22
सोनी	F	39
शशि मल	F	65
शबन्स	M	43

iii. सामान्य विवरण

6

2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पंचायत/आंगनवाड़ी के अनुसार
जन संख्या..... 1969.....	वर्तमान जन संख्या..... 2163.....
परिवारों की संख्या..... 378.....	परिवारों की संख्या..... 618.....
महिलाओं की संख्या..... 995.....	महिलाओं की संख्या..... 1095.....
पुरुषों की संख्या..... 974.....	पुरुषों की संख्या..... 1102.....
बच्चों की संख्या..... 274.....	बच्चों की संख्या..... 373.....
एफ.एच.टी.सी. की संख्या..... 0.....	एफ.एच.टी.सी. की संख्या..... 373.....

7. जन संख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण- वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जलसंख्या में 18 की वृद्धि) किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम

चरण वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32 वृद्धि) किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकार्ड)

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना	उड़	अलसी
धान	अरहर	चना
मक्का	तिरु	लारसी
कपास	दालें	ली
गेंहू	ताजरा	आलू
अन्य		मटर
		गेंहू

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी.) 67

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि) समतल

iv. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया ? (हाँ/ नहीं)
(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)
13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है ? (हाँ/ नहीं)
(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)
- 14.

क्रम.सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है। हाँ/ नहीं	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? हाँ/ नहीं	सौख्य गड्डों की उपलब्धता। हाँ/ नहीं
1	स्कूल	हाँ	हाँ	नहीं
2	आंगनवाड़ी	नहीं	॥	॥
3	स्वास्थ्य केन्द्र	॥	॥	॥
4	ग्राम पंचायत भवन	हाँ	॥	हाँ
5	अन्य		॥	

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान अवश्यकता— जनसंख्या × दर के.एल.डी.
मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता के.एल.डी.
मवेशी कुडों की आवश्यक संख्या
मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता—जनसंख्या × दर के.एल.डी.
अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता—जनसंख्या × दर के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

- 16 गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति
- 17 आपतकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेलगाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति
- 18 पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आंशिक कार्य स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
- 19 जल जनित रोगों का इतिवृत्त:

पानी की गुणवत्ता

- 20 फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकरी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें.....
- 21 सैनेट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख.....
- 22 जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति).....

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पी.एच.	पट्टी रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
क्लोराईड	टिट्रीमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराईड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हाटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने/स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
पाईट मार्ज	45	350
कन्दलुका पुरवा	25	150
अनुके परका पुरवा	55	450
भारोज बस्ती	9	70

स्रोत स्थायित्व

- 24 भू-जल स्रोत के मामले में क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है (हाँ/नहीं)
 25 गाँव में न मौजूदा जल भांडारों की सूची जिनका कायाकल्प/ मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है।

गंदले जल का प्रबंधन

- 26 उत्पन्न गंदला जल (जल अपूर्ति का 65 प्रतिशत) के एल.डी.
 अलग-अलग सोखता गडदों वाले परिवारों की संख्या
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गडदों की आवश्यकता है:
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गडदों की संख्या
 क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है ? (हाँ/नहीं)
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है?
 यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

v. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी प्रदान किए जायेंगे?
 • अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी डब्लू.पी. के तहत शुरु की गई योजनाओं रेट्रोफिटिंग
 • पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 • निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या घरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
 • शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
 • मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्लू.एस जो एकान्त/आदिवाली बस्तियों में स्थित है।
- 28 अभिनिर्धारित जल स्रोत: तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर
 प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल जीवन मिशन द्वारा
 इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि
 वह तारीख, जिसपर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस विभाग को सौंप दी जाएगी:
 योजना की लागत भारत सरकार का हिस्सा 45% राज्य का हिस्सा 45%
 सामुदाय का हिस्सा 10%
 व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क
 कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस

vi. मेल जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधी मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	सम्भावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवाँ वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट ड्रेनेज सिस्टम आदि	
स्वच्छ मातर मिशन-ग्रामीण	पेयजल और स्वच्छता	ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट, सोखता	

(एस बी एम जी)	विभाग जल शक्ति मंत्रालय	गड्डे (व्यक्तिगत / सामुदायिक) अपशिष्ट तलछट तालाब अदि
एम जी एन आर ई जी एस	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्रकृतिक संसाधन प्रबंध (एन आर एम) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ।
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्लू एम पी)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन / आर डब्लू एच / कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का निर्माण / वृद्धि
जल भंडारों की मरम्मत नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदरी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी आई)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बंधित कार्य
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी एम के एस वाई)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए
क्षतिपूरक यनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	नीकरण वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास आदि।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्लू.एस योजना के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि।
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.एफ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ
एम पी.प्ल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एम. ओ.ए.प्य पी.आई.)	अंतः ग्राम अवसंरचना
एम.एल.ए.एल.ए.डी	राज्य	अंतः ग्राम अवसंरचना
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान / जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतः ग्राम अवसंरचना
दानदाता / प्रायोजक		

अध्यक्ष का हस्ताक्षर



पी.एच.ई.डी. / आर.डब्लू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर :

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इरकी उप-समिति अर्थात् वी डब्ल्यू एस सी / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर-

- पानी समिति के अध्यक्ष का नाम व फोन नं० विकास कुमार 8127537403
- पंचायत सचिव का नाम व फोन नं० रविशंकर सोनकर 8090091566

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

- Amar kesh 7651927033
- AJAD Patel 6388 691253
- Mahendra Kumar 9886018201
- Dharmendra // 9956015201

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिये पाँच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. विनीता देवी - 7651927033
2. मन्सरीन बानो - 9838546045
3. मन्वन्दी // - 7309103714
4. मालाबुन - 8009457220
5. सुनीता देवी - 7754942966

पम्प ऑपरेटर को नाम और फोन नंबर

- Rajendra Kumar 918660218
- Vijay Kumar 7985814535
- Saurabh Sharma 9794222023